

1. दस्तावेज के अनुसार विवरण दर्ज करें।
2. बंधक-पत्र की दिशा व्याज की ऊपर और भुगतान की अवधि दर्ज करें। बर्तते की उनको बारे में उल्लेख हो।
3. पट्टे की दशा में पट्टे की अवधि और वार्षिक लगान दर्ज करें।

मै यह प्रमाणित करता हूँ कि उपयुक्त संव्यवहारों और अवधारों को छोड़ उक्त संपत्ति को प्रमाणित करने वाले किसी अन्य संव्यवहार और अवधार का पता नहीं चला है।

निम्न व्यक्ति ने तलासी की प्रमाण-पत्र तैयार किया :

(हस्ताक्षर):

(पदनाम):

तलासी प्रमाणित और प्रमाण की जाँच निम्न व्यक्ति ने की :

(हस्ताक्षर):

(पदनाम):

कार्यालय: patna.

तारीख: 2/16/18



मुख्य एवं निबंधक प्रमाणितकारी का हस्ताक्षर
2/16/18

टिप्पणी :- इस प्रमाण-पत्र में जो संव्यवहार और अवधार दिखाए गये हैं वे आवेदन द्वारा प्रस्तुति संपत्ति के अनुसार पाये गये हैं। यदि आवेदक द्वारा किये गये विवरण से भिन्न विवरण देकर किन्हीं किन्हीं संपत्तियों को निबंधित दस्तावेजों में दिखया गया हो तो वैसी दस्तावेजों से प्रमाणित संव्यवहार (ट्रान्जेक्शनस) इस प्रमाण-पत्र में शामिल न किये जायेंगे।

2. निबंधन अधिनियम की प्राव-द्व के अधीन के व्यक्ति (वहदारी) और अनुक्रमणियों (इन्डेन्स) की पंढरियाँ देखना चाहते हैं अथवा उनकी प्रतिलिपि लेना चाहते हैं जिन्हें निर्दिष्ट संपत्तियों के अवधारों के प्रमाण-पत्रों की जरूरत हो उन्हें तलासी स्वयं करनी होगी। विहित फीस का भुगतान करने पर वहियाँ और अनुक्रमणियों उनके पास सागने रखदी जायेंगी।

(मै) किन्तु चूँकि वर्तमान मामले में आवेदक ने स्वयं तलासी नहीं की है, इसलिए कार्यालय अपेक्षित तलासी प्रमाण की किसी भूल के लिए किसी भी तरह जिम्मेवार नहीं होगा।

(ख) और चूँकि वर्तमान मामले में आवेदक ने अपेक्षित तलासी स्वयं की है, और चूँकि उसके बाद दूँदे गये संव्यवहारों और अवधारों को सत्यापन के बाद प्रमाण-पत्र में दिया है, इसलिए किनाग आवेदक द्वारा दूँदे गये ऐसे संव्यवहारों और अवधारों की छूट के लिए किसी तरह जिम्मेदार न होगा जिससे उक्त संपत्ति पर प्रभाव पड़ता हो।

कार्यालय, अवर निबंधक

ज्ञाप संख्या 5796

आवेदक श्री Rajesh Kumar,

का रूपभार प्रमाण-पत्र द्वारा

दिनांक 2/16/18

manager corporation bank
exhibition Road, patna.

का उनके पत्र संख्या 19/16/18 दिनांक 2/16/18 के प्रमाण में अग्रसारित की जाती है।

निबंधन प्रमाणितकारी
2/16/18
patna.

संपत्ति अवभार प्रमाण-पत्र

प्रमाण-पत्र संख्या 1265 20 18 आवेदन सं० 586
 इके श्री Rajesh K.

ने मेरे पास आवेदन दिया है कि निम्नांकित संपत्ति के संबंध में निम्नलिखित संव्यवहारों और अवभारों का सविवरण प्रमाण-पत्र दिया जाये।
 (आवेदन में दिये गये तथ्य के अनुसार विवरण दें।)

इसलिये मैं इसके द्वारा प्रमाणित करता हूँ कि उक्त संपत्ति को प्रमाणित करने वाले संव्यवहारों और अवभारों के बारे में बही में
 और उससे सम्बद्ध अनुक्रमणियों में ता० 1994 से ता० 2005
 तक तलाशी की गयी और ऐसी तलाशी के बाद निम्न संव्यवहारों और अवभारों का पता भला
 भला है अतः सुखना मुक्त

क्र०सं०	(क) संपत्ति का विवरण	निष्पत्ति की तारीख	(ख) दस्तावेज का प्रकार और मूल्य	पक्षों के नाम		दस्तावेज की प्रविष्टि के प्र० निर्देश		
				निष्पादक	दावेदार	जिल्द	वर्ष	पृष्ठ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	म० 439 - Sandalpur प्ल० 11 प्ल० 931 ख० 1010 वार्ड न० 55 अ० 81 जर्मल.							

1. दस्तावेज के अनुसार विवरण दर्ज करें।
 2. बंधक-पत्र की दिशा व्याज की दर और भुगतान की अवधि दर्ज करें। भारत की संनको बारे में उल्लेख हो।
 3. पढ़ते की दशा में पढ़ते की अवधि और वार्षिक लगान दर्ज करें।
- मै यह प्रमाणित करता हूँ कि उपयुक्त संव्यवहारों और अक्मारों को छोड़ उक्त संपत्ति को प्रमाणित करने वाले किसी अन्य संव्यवहार और अक्मार का पता नहीं चला है।

निम्न व्यक्ति ने तलासी की प्रमाण-पत्र तैयार किया :

(हस्ताक्षर):

(पदनाम):

तलासी का सत्यापन और प्रमाण की जाँच निम्न व्यक्ति ने की :

(हस्ताक्षर):

(पदनाम):

कार्यालय:

तारीख:



अवर एवं निबंधन पदाधिकारी का हस्ताक्षर
21/6/18

टिप्पणी - इस प्रमाण-पत्र में जो संव्यवहार और अक्मार दिखाए गये हैं वे आवेदन द्वारा प्रस्तुति संपत्ति के अनुसार पाये गये हैं। यदि आवेदक द्वारा किये गये विवरण से निम्न विवरण देकर किन्हीं किन्हीं संपत्तियों को निबंधित दस्तावेजों में दिखाया गया हो तो वेसी दस्तावेजों से प्रमाणित संव्यवहार (ट्रान्जेक्शनस) इस प्रमाण-पत्र में शामिल न किये जायेंगे।

2. निबंधन अभिविषय की भाँसा-57 के अधीन लगे कालि (दाख) और अनुक्रमणियों (इन्वेन्स) की प्रवृत्तियाँ देखना चाहते हैं अथवा उनकी प्रतिलिपि लेना चाहते हैं जिन्हें निर्दिष्ट संपत्तियों के अक्मारों के प्रमाण-पत्रों की जरूरत हो उन्हें तलासी स्वयं करनी होगी। विहित फीस का भुगतान करने पर बहियाँ और अनुक्रमणियाँ उनके पास सामने रखदी जायेगी।

(ग) किन्तु चूँकि वर्तमान मामले में आवेदक ने स्वयं तलासी नहीं की है, इसलिए कार्यालय अपेक्षित तलासी प्रमाण की किसी भूल के लिए किसी भी तरह जिम्मेदार नहीं होगा।

(ख) और चूँकि वर्तमान मामले में आवेदक ने अपेक्षित तलासी, स्वयं की है, और चूँकि उसके बाद दूँदे गये संव्यवहारों और अक्मारों को सत्यापन के बाद प्रमाण-पत्र में दिया है, इसलिए विभाग आवेदक द्वारा दूँदे गये ऐसे संव्यवहारों और अक्मारों की छूट के लिए किसी तरह जिम्मेदार न होगा जिससे उक्त संपत्ति पर प्रभाव पड़ता हो।

कार्यालय, अवर निबंधक _____

ज्ञाप संख्या 5735 _____

आवेदक श्री Rajesh Kumar _____

का रूणभार प्रमाण-पत्र द्वारा manager cooperation bank _____

का उनके पत्र संख्या _____

दिनांक 21/6/18 _____

के प्रसंग में अग्रसारित की जाती है।

21/6/18

के प्रसंग में अग्रसारित की जाती है।

अवर एवं निबंधन पदाधिकारी
21/6/18

संपत्ति अवभार प्रमाण-पत्र

प्रमाण-पत्र संख्या संपत्ति प्रमाण-पत्र संख्या 20/18
 आवेदन सं० 5885
 व्यक्ति श्री Rajesh Kumar

मेरे पास आवेदन दिया है कि निम्नांकित संपत्ति के संबंध में निम्नलिखित संव्यवहारों और अवभारों का संविवरण प्रमाण-पत्र दिया जाये।
 (आवेदन में दिये गये तथ्य के अनुसार विवरण दें।)

इसलिये मैं इसके द्वारा प्रमाणित करता हूँ कि उक्त संपत्ति को प्रमाणित करने वाले संव्यवहारों और अवभारों के बारे में बही में और उससे सम्बद्ध अनुक्रमणियों में ता० 1994 से ता० 2005 तक तलाशी की गयी और ऐसी तलाशी के बाद निम्न संव्यवहारों और अवभारों का पता भला अवभार 247 भला है अतः

क्र०सं०	(क) संपत्ति का विवरण	निष्पादन की तारीख	(ख) दस्तावेज का प्रकार और मूल्य	पक्षों के नाम		दस्तावेज की प्रविष्टि के प्र० निर्देश		
				निष्पादक	दावेदार	जिल्द	वर्ष	पृष्ठ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	मारगे - Baladwarpur प्ल० 10 प्लॉट 652, 653, 687. क्लॉट 287, 298 वॉर्ड 96 अरेंज 81 Original							